न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 37/2025

श्री यादवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राघवेन्द्र सिंह निवासी ठिकाना दूनी गढ पैलेस तहसील दूनी जिला टोंक राज --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 03.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मुझ प्रार्थी द्वारा जरिये डाक से दिनांक 26.12.2024 को माता दूणजा ट्रस्ट का रजि० निरस्त करवाने बाबत एंव कमेटी अध्यक्ष एवं अन्य लोगो की गतिविधियो पर रोक लगाने का एक शिकायत प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के यहां भेजा था भेजा गया शिकायत प्रार्थना पत्र मे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई कार्यवाही की तथ्यातत्मक रिपोर्ट की सूचना की जानकारी की जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 693 दिनांक 30.04.2025 व 765 दिनांक 13.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 512 दिनांक 20.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 139 दिनांक 05.03.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

663